

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
क्षेत्रीय कार्यालय, 65, पानदरीबा, लखनऊ

निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रांक :- IV / अभि06-हेमपुरे/एनएससी-लखनऊ/2014-15

दिनांक 20.06.2014

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिष्ठित वन/लकड़ी ठेकेदारों से जो कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पातन कार्य के निष्पादन में दक्षता रखते हों वृक्ष की निर्दिष्ट गोलाई के अनुसार वृक्षों की संख्या के सापेक्ष दरे आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	वृक्षों का प्रकार	वृक्षों की कुल अनुमानित संख्या	कार्य पूरा करने की अवधि	धरोहर राशि (रु०)	निविदा दस्तावेज का मूल्य
1-	सागौन, कोकाट, शीशम, तुन, अशोक, जामुन व समल	237	एक माह	1,00,000 / -	500 / -

1- इच्छुक निविदाकार क्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी, पोस्ट आर0टी0सी0, हेमपुर(निकट काशीपुर) जिला उधमसिंह नगर पिन कोड 244716 अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के उपरोक्त पते से किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शनिवार तक निविदा दस्तावेज के मूल्य रु० 500/- (अप्रतिदेय) का भुगतान रोकड/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट से एनएससी लि० लखनऊ के पक्ष में कर दिनांक 09.07.2014 तक प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना बैंब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। इस स्थिति में रु० 500/- का बैंक ड्राफ्ट अलग से एनएससी लखनऊ के पक्ष में संलग्न करना होगा।

2- निविदा दस्तावेज की बिक्री निविदा खोलने की अधिसूचित तिथि से दो दिन पूर्व बंद कर दी जायेगी।

3- निविदा दस्तावेज के साथ उपरोक्त धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पक्ष में जारी किये गये डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करनी होगी।

4- निविदाएं दिनांक 11.07.2014 अपराह्न 14 बजे तक क्षेत्र कार्यालय, पोस्ट आर० टी० सी० हेमपुर(निकट काशीपुर) जिला उधमसिंह नगर पिन कोड 244716 में प्राप्त की जायेगी और उसी दिन अपराह्न 14:30 बजे निविदाकार या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होने के इच्छुक हों के समक्ष खोली जावेगी।

5- निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, निर्देश व विनिर्देश में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

6- कार्य को एक या अधिक निविदाकारों के मध्य वृक्ष प्रजाति के अनुसार देने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।

7- किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के पास सुरक्षित है, एवं कारपोरेशन द्वारा लिया गया निर्णय निविदाकार पर अंतिम एवं बाध्य होगा।

ह/-
क्षेत्रीय प्रबन्धक

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
क्षेत्रीय कार्यालय, 65, पानदरीबा, लखनऊ

कार्य का नाम :- राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हेमपुर के कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की बिक्री व पातन कार्य

मात्रा अनुसूची :-

क्रम संख्या	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष की गोलाई फुट में	संख्या	उल्लेखित दर अंको व शब्दों में	मूल्य
1-	सागौन	0 - 2	38		
2-	सागौन	2 - 3	46		
3-	सागौन	3 - 4	65		
4-	सागौन	4 - 5	33		
5-	सागौन	5 - 6	02		
6-	कोकाट	2 - 3	02		
7-	कोकाट	3 - 4	09		
8-	कोकाट	4 - 5	06		
9-	कोकाट	5 - 6	02		
10-	कोकाट	6 - 7	01		
11-	कोकाट	7 - अधिक	05		
12-	शीशम	0 - 2	01		
13-	शीशम	2 - 3	05		
14-	शीशम	3 - 4	02		
15-	शीशम	4 - 5	01		
16-	तुंग	3 - 4	03		
17-	तुंग	4 - 5	01		
18-	अशोक	5 - 6	02		
19-	अशोक	6 - 7	01		
20-	जामुन	3 - 4	01		
21-	जामुन	4 - 5	01		
22-	सेमल	3 - 4	02		
23-	सेमल	4 - 5	01		
24-	सेमल	5 - 6	01		
25-	सेमल	6 - 7	01		
26-	सेमल	7 - अधिक	05		

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
क्षेत्रीय कार्यालय, 65, पानदरीबा, लखनऊ

नियम व शर्तें

वृक्षों के विक्रय व पातन के निमित्त नियम व शर्तें

- 1- निविदा दाता को पैन कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- 2- निविदा के साथ स्थाई पते का मान्य व उचित साक्ष्य देना होगा।
- 3- वृक्षों के छपान व कटान आदि का शुल्क निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- 4- कार्य आदेश के उपरान्त वन विभाग से निकासी व पातन की अनुमति निविदादाता को स्वयं लेनी होगी और ऐसा न कर पाने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त समझी जावेगी।
- 5- कार्य आदेश देने से 15 दिन के भीतर निविदाकार को स्वयं अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 6- वन विभाग से अनुमति के उपरान्त उल्लेखित पूर्ण धनराशि निविदाकार को बैंक डाफ्ट के जरिये नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जमा कराना आवश्यक होगा।
- 7- वन विभाग की अनुमति के उपरान्त एक माह के अन्दर पातन का कार्य हर हालत में पूर्ण करना होगा।
- 8- धरोहर राशि समस्त कार्य सफलता पूर्व निष्पादन के उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा वापस की जावेगी।
- 9- निगम के कर्मचारी एवं उनके किसी भी प्रकार के सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
- 10- किसी भी वाद विवाद की स्थिति में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जो कि सोल आर्बीट्रेटर हैं का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।